

विषय :— राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.03.2007 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.03.2007 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यण एवं अन्य अधिकारियों की सूची परिशिष्ट में संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—


- एजेण्डा क्रमांक 1 के अनुसार समिति की तृतीय बैठक दिनांक 18.01.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा क्रमांक 2 के अनुसार समिति की तृतीय बैठक दिनांक 18.01.2007 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया। समिति पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई।

- योजना के अंतर्गत शासन द्वारा जारी अपात्र उद्योगों की सूची में क्रमांक 46 पर दर्शित आइटम को विलोपित करने के संबंध में उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उद्योग संचालनालय द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है। बजट के संबंध में हुई चर्चा में निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष 2007–08 में आवश्यक बजट राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही उद्योग संचालनालय द्वारा की जावे।

- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, पूर्व बैठकों में स्वीकृत दो प्रकरण, मे. व्ही.आर. एस.फूड्स लि., मालनपुर एवं मे. नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इंडस्ट्रीज लि. घाटाविल्लोद धार के स्वीकृति आदेश जारी कर दिये गये हैं। शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के स्वीकृत प्रकरणों के लिए निवेश की प्रतिबद्धता संबंधी अनुबंध के निष्पादन पश्चात इन ईकाइयों को स्वीकृत सहायता राशि के वितरण की कार्यवाही की जावेगी। एम.पी. ट्रायफेक में उपलब्ध बजट के अनुसार दोनों ईकाइयों को समान अनुपात में राशि वितरित की जावेगी।

- एजेण्डा क्रमांक 3 में प्रस्तुत मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 के नियमों में संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा में जिन संशोधन प्रस्तावों में वाणिज्यिक कर आयुक्त एवं एम०पी० ट्रायफेक की सहमति है, उन पर समिति द्वारा संशोधन के लिए अनुमोदन दिया गया। योजना के नियम 3.8.1, 3.8.2, 3.9.4, एवं 8.6, मे वाणिज्यिक कर आयुक्त के प्रस्ताव पर असहमति एवं ट्रायफेक के पुर्नप्रस्ताव/अभिमत पर सहमति व्यक्त कर अनुमोदन दिया गया। नियम 8.6 के चर्चा में निर्णय लिया गया की यह संशोधन पंजीयन की प्रक्रिया से संबंधित है, एवं पंजीयन के लिये योजना में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.03.2007 निर्धारित है, अतः दिनांक 31.03.2007 तक प्राप्त होने वाले स्ववित्त पोषित ईकाइयों के प्रकरणों में बेलेंस शीट एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणिकरण के आधार पर प्रलंबित



संचालक एम०पी० द्रायफेक आवश्यकता का निर्धारण कर पंजीयन जारी करेंगे। यदि किसी प्रकरण के संबंध में कठिनाई दिखती है तब संबंधित संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर का अभिमत प्राप्त किया जा सकता है।

4. एजेंडा क्रमांक 4 में प्रस्तुत भेसर्स राजरतन ग्लोबल वायर लि. पीथमपुर के योजना के अंतर्गत पंजीयन प्रकरण पर चर्चा में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि ईकाई की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि ईकाई को समिति के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। निर्णय लिया गया कि प्रबंध संचालक एम०पी० द्रायफेक द्वारा ईकाई की सुनवाई की जावे एंव प्रकरण में निर्णय हेतु अनुशंसा प्रस्तुत की जाये।

5. एजेंडा क्रमांक 5 में प्रस्तुत मे भेसर्स मैहर सीमेंट के मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संबंधन सहायता योजना के पंजीयन प्रकरण पर चर्चा में निर्णय लिया गया कि, यद्यपि ईकाई स्ववित्त पोषित है, किन्तु ईकाई को शीर्ष स्तरीय उद्योगनिवेश संबंधन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 18.01.2006 में उद्योग निवेश संबंधन सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, अतः ईकाई का योजना में पंजीयन किया जावे।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

(प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
एंव अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योगनिवेश संबंधन
सहायता समिति द्वारा अनुमोदित)

(प्रवीण गर्ग)
प्रबन्ध संचालक
एंव सदस्य सचिव

५

परिशिष्ट

विषय : राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.03.2007 में
उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.03.2007 को
श्री ओ. पी. रावत, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता
में सम्पन्न हुई ।

उपस्थित सदस्य

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | श्री ए.के. नायक, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल, मध्यप्रदेश | - सदस्य |
| 2. | श्री प्रवीण गर्ग, प्रबन्ध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी.
एवं एम.पी. ट्राइफेक | - सदस्य सचिव |

उपस्थित अन्य अधिकारीगण

1. श्री व्ही.के. त्रिपाठी, अपर संचालक, उद्योग संचालनालय, भोपाल ।
2. श्री सतीश पेंढारकर, महाप्रबन्धक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल ।
3. श्री अरविन्द विश्वरूप, प्रबन्धक, एम.पी. ट्राइफेक, भोपाल ।